न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 59/2024(GCMS : 2024/59)

Union Bank of India, 98, Varindavan Vihar, Gagan Path, Sriganganagar, Rajasthan-335001

बनाम

1. **Mrs Nita** W/o Mr. Inderjeet Address Ward No. 17, Sadulshahar, Sriganganagar Rajasthan -335062 **Address 2** : Plot No. A38, Sq. No. 13, Plot No. A-28 No. 2,3,8,9,12,13,18,19,22 & 23 Chak 4G Badi, Royal Enclave, Village Kaliyan, Killa, Tehsil & District Sriganganagar, Rajasthan

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.05.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री कमल कुमार ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.04.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी नीता को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक राशि 5.50/– लाख रूपये, (अखरे रूपये पांच लाख पच्चास हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 05.08.2020 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 31.12.2022 तक की बकाया राशि 6,16,538/– रूपये थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी नीता द्वारा बंधक रखी अपनी आवासीय सम्पत्ति जो कि भूखण्ड संख्या ए–39 एस क्यू नम्बर 13, प्लॉट नम्बर ए–28, किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 चक 4 जी बड़ी रॉयल इनक्लेव (क्षेत्रफल 600 वर्गफीट), ग्राम कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान–335804,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी नीता को ऋण सुविधा के रूप में** 5.50/–लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख पच्चास हजार मात्र) की स्वीकृति **दिनांक 05.08.2020 को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी नीता ने अपनी **आवासीय सम्पत्ति जो कि भूखण्ड संख्या ए–39 एस क्यू नम्बर 13, प्लॉट नम्बर ए–28, किला नम्बर 2,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 चक 4 जी बड़ी रॉयल इनक्लेव (क्षेत्रफल 600 वर्गफीट), ग्राम कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान—335804, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 29.11.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी नीता के स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी नीता द्वारा बंधक रखी अपनी आवासीय सम्पत्ति जो कि भूखण्ड संख्या ए—39 एस क्यू नम्बर 13, प्लॉट नम्बर ए—28, किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 चक 4 जी बड़ी रॉयल इनक्लेव (क्षेत्रफल 600 वर्गफीट), ग्राम कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान—335804, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 13.01.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 13.01.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस रजि. डाक से भिजवाये जाने की दिनांक 13.01.2023 की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है और पावती रसीद/ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, किन्तु धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थी नीता के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, **जिसके** अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी नीता द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी नीता **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति जो कि भूखण्ड संख्या ए–39 एस क्यू नम्बर 13, प्लॉट नम्बर ए–28, किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 चक 4 जी बड़ी रॉयल इनक्लेव (क्षेत्रफल 600 वर्गफीट), ग्राम कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान–335804, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति पर किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:14 IST
Reason: SelfAttested

(लोकबंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर